सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 70 / 2020 दायर दिनाँक 03.03.2020

वादी		प्रतिवादीगण
1. सिकन्दर खां पुत्र मजीद खां जाति कायमखानी निवासी डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

1. श्री ~~नेम सिंह~~ महेन्द्र सिंह वकील वादीनी।

दिनाँक 21.12.2020

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 237 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 239 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद अमरपुरा में अवस्थित है। जो कि संयुक्त खातेदारी की है। प्रार्थी की खातेदारी में जाति कायमखानी के स्थान पर मुसलमान पठान राजस्व अधिकारियों की भुलवंश गलत अंकित हो गई है। प्रार्थी के सभी दस्जावेज में प्रर्थी की जाति कायमखानी दर्ज की हुई है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थी की जाति कायमखानी दर्ज है परन्तु राजस्व रेकर्ड में गलत जाति मुसलमान पठान अंकित है।

प्रार्थना वादी है कि संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं0 237 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं0 239 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद अमरपुरा में अवस्थित है। उनमें प्रार्थी की जाति मुसलमान पठान के स्थान पर कायमखानी दर्ज किये जाने के आदेश सादर फरमावें।

प्रकरण में तहसीलदार, डीडवाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्र क्रमांक 1965 दिनांक 17.[illegible].2020 के द्वारा रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार [illegible]ज व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो बताया कि सिकन्दर खां पुत्र मजीद खां निवासी कायम

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.06.15 13:58:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 70/2020
दायर दिनाँक 03.03.2020 निर्णय दिनाँक 21.12.2020
सिकन्दर खां बनाम तहसीलदार डीडवाना।

नगर गली नं0 11 की जाति कायमखानी है। वादी के समस्त दस्तावेजों में भी जाति कायमखानी दर्ज है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जाति मुसलमान पठान के स्थान पर कायमखानी दर्ज किया जाना उचित है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद अमरपुरा के खसरा सं0 237 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं0 239 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा में जाति मुसलमान पठान के स्थान पर जाति कायमखानी दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

15/12/20

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **21.12.2020** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

15/12/20

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.06.15 13:58:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 70 / 2020 दायर दिनाँक 03.03.2020

वादी		प्रतिवादीगण
1. सिकन्दर खां पुत्र मजीद खां जाति कायमखानी निवासी डीडवाना तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 21.12.2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा वाके सरहद अमरपुरा के खसरा सं0 237 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं0 239 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा में जाति मुसलमान पठान के स्थान पर जाति कायमखानी दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग...........—............... बाबत....................—..... ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 21.12.2020 को सरे इजलास में जारी की गयी।

15/80
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर एक फरीक [illegible], चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.06.15 13:58:45 IST
Reason: SelfAttested

15/80
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner